निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 63 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) सिंचाई विभाग हल्द्वानी (नैनीताल),** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) सिंचाई विभाग हल्द्वानी (नैनीताल), के माह 11/2017 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री मनोज कुमार पर्यवेक्षक श्री अंकित पांडे, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11/10/2018 से 16/10/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा सर्व श्री पी के श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 6/11/2017 से 10/11/2017 तक संपादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 09/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतः जांच की गई थी।

(iii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार: सिचाई विभाग का कार्य यह है कि निर्माण कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण उत्तराखंड ।

(iv) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	आवंटन	व्यय	अवशेष	
				स्थापना	गैर-स्थापना
2015-16	-	174.51	168.99	5.52	-
2016-17	-	186.40	153.98	32.42	-
2017-18	-	174.80	159.28	15.52	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
Nil					

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “C” श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, सिंचाई विभाग विभाग, देहरादून

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) सिंचाई विभाग हल्द्वानी (नैनीताल),** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) सिंचाई विभाग हल्द्वानी (नैनीताल),** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2018 को विस्तृत जांच हेतु एवं विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–2 'ब'

प्रस्तर–1 धनराशि रू0 398.60 लाख के लम्बित दायित्व

शासनादेश सं0–3060(1)/11–2014–03(14)/2013 दिनांक 11.02.2014 एवं शासनादेश सं0–17(1)/11–2014–03(19)/2014 दिनांक 21.11.2014 द्वारा विकास खण्ड, काशीपुर में महुआ खेड़ागंज निरीक्षण भवन एवं विकास खण्ड, बाजपुर में मुण्डिया कला निरीक्षण भवन के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमशः रू0 119.91 लाख एवं रू0 214.56 लाख हेतु प्रदान की गयी थी। उक्त दोनों कार्यो के धनराशि रू0 284.85 लाख एवं रू0 448.22 लाख **के** पुनरीक्षित प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) हल्द्वानी के पत्रांक–1021 दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे। जिनकी स्वीकृति सम्पेक्षा तिथि (अक्टूबर, 2018) तक अपेक्षित थी।

मुख्य अभियन्ता (स्तर–II) हल्द्वानी के अभिलेखों की जांच **के** संज्ञान में आया कि उक्त संदर्भित दोनों निरीक्षण भवनों को जुलाई 2017 तक भौतिक रूप से पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु धनाभाव के कारण रू0 398.60 लाख के भुगतान अवशेष थे।

आवंटित धनराशि से अधिक व्यय के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटन से अधिक कार्य हेत पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रेषित किये गये है जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है।

उत्तर सम्पेक्षा को मान्य नही था। क्योकि किसी भी कार्य पर आवंटन से अधिक व्यय वित्तीय नियमों के विपरित था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1.	**49/2017-18**		STAN - **1**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) सिंचाई विभाग हल्द्वानी (नैनीताल),** उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री मोहन चंद्र पाण्डेय	मुख्य अभियन्ता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) सिंचाई विभाग हल्द्वानी (नैनीताल),** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2